11/8/23, 12:47 PM about:blank

## Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्षः अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2, श्री दानवे रावसाहेब

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

- (1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) संशोधन नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 378(अ) में प्रकाशित हुआ था।
  - (दो) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10068/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

- (1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (??संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 में प्रकाशित हुए थे तथा उसके दो शुद्धिपत्र जो 3 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2015 और 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2017 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

11/8/23, 12:47 PM about:blank

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10069/17/23]

## THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay?

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audit Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10070/17/23]

(3) A copy of the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument - Memorial Pillar marking the site of the premutiny Residency in the old Mariaon Cantonment, Lucknow (Hindi and English versions) dated 26<sup>th</sup> May, 2023 under sub-section (6) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 10071/17/23]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I move that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.

मैं इस बिल के संबंध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय, यह कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंड बिल है और महत्वपूर्ण बिल है । महिला सशक्तिकरण की दिशा में ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी आपको आइटम नंबर 1 का पेपर ले करना है।

? (व्यवधान)

about:blank 2/4

11/8/23, 12:47 PM about:blant

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) आ.अ. 19(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
  - (दो) आ.अ. 33(अ) जो 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित किया गया है।
  - (तीन) का.आ. 3661(अ) जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2023 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है जिस तारीख को असम राज्य के संबंध में 20 जून, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 19(अ) द्वारा किया गया निर्वाचन आयोग का आदेश सं. 1 और 11 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 33(अ) द्वारा किया गया आदेश सं. 2 प्रभावी होगा।

[Placed in Library, See No. LT 10066/17/23]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3778(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10067/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. सुभाष सरकार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर विनियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआईएमबी/आरईजी/590/2023 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10072/17/23]

- (2) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के अध्यादेश 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. (दो)एलबीएसएनयू/

about:blank 3/4

11/8/23, 12:47 PM about:blank

आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के विनियम - 2021 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. (दो)एलबीएसएनयू/ आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 10073/17/23]

11.02 hrs

about:blank 4/4